शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

मंत्रिमंडल के लिए अक्टूबर, 2024 माह का मासिक सारांश:

अक्टूबर, 2024 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियाँ

(i) माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा दिनांक 15.10.2024 को वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 की अवधि हेतु 990.00 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में तीन उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की घोषणा की गई है। उद्योग जगत के अग्रणी और विशेषज्ञों वाली एक शीर्ष समिति ने शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त सभी प्रस्तावों की जांच की। शीर्ष समिति की सिफारिश के आधार पर, शिक्षा मंत्रालय ने तीन उत्कृष्टता केंद्रों (सीओआई) की स्थापना के लिए तीन शैक्षणिक संस्थानों नामत: एम्स दिल्ली में स्वास्थ्य में एआई के उत्कृष्टता केंद्र, आईआईटी रोपड़ में कृषि में एआई के उत्कृष्टता केंद्र और आईआईटी कानपुर में सतत शहरों में एआई के उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी।

(ii) एनटीए द्वारा परीक्षाओं का "पारदर्शी, त्रुटि रहित और छेड़छाड़ मुक्त" संचालन सुनिश्चित करने के लिए सुधार सुझाने हेतु डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में जून 2024 में गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति (एचएलसीई) ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी। सिफारिशें करने से पूर्व, एचएलसीई ने परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों, संसद सदस्यों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों, केंद्र/राज्य पुलिस/जांच एजेंसी के अधिकारियों, नियामक निकायों, प्रौद्योगिकी समाधान सलाहकारों, शिक्षाविदों, छात्र समूहों, मीडिया समूहों, केंद्रीय/राज्य जांच टीमों और वैश्विक परीक्षण एजेंसियों जैसे संबंधित हितधारकों के साथ कई दौर की चर्चा की। समिति द्वारा सुझाए गए तत्काल कार्रवाई किए जाने संबंधी बिंदुओं में एनटीए को सुदृढ़ करना, डोमेन-विशिष्ट मानव संसाधनों की भर्ती करना, ज्ञान और परीक्षा भागीदार के रूप में परीक्षा इंडेंटिंग एजेंसियों को शामिल करना शामिल हैं। इस समिति की सिफारिशें कार्यान्वयनाधीन हैं। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक संचालन समिति का गठन किया गया है।

(iii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आईआईएससी बेंगलुरु में दिनांक 23.10.2024 को पीएमओ द्वारा एक बैठक ली गई। बैठक के दौरान, एनईपी 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई और प्रमुख मुद्दों को प्राथमिकता दी गई जिसमें भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक को अंतिम रूप देना भी शामिल है।

(iv) भारत सरकार ने बजट 2022-23 में देश भर के छात्रों को उनके द्वार पर व्यक्तिगत तौर पर अधिगम अनुभव प्रदान करने हेतु विश्व स्तरीय सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी। कुल 537.80 करोड़ रुपये के वित्तीय निहितार्थ पर ई-विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पीआईबी/सीईई नोट को वित्त सचिव और सचिव (व्यय), व्यय कार्यालय, वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 24.04.2023 को स्थापना व्यय (सीईई)-सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) संबंधी संयुक्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) के परामर्श से डिजिटल

विश्वावद्यालय विधयक 2023 नामक विधयक तयार किया गया है। डिजिटल विश्वावद्यालय विधयक, 2023 को संसद में पेश करने और विश्वविद्यालय के लिए यूजीसी मानदंडों के अनुसार स्तर 14 और उससे ऊपर के ग्यारह पदों के सृजन के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रतीक्षित है।

(v) लगभग 6300 उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईएल) और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को शोध के लिए विद्वानों की पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के नेतृत्व में पीएम-वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (पीएम-ओएनओएस) पहल के लिए ईएफसी की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। अब, इसके लिए मंत्रिमंडल नोट केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

***